न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—470/2012/223 (2012/00013)

1. सज्जन उर्फ सरजन सिंह पुत्र किशनलाल, जाति रावत,
2. सेरती देवी पत्नि सज्जनसिंह उर्फ सरजनसिंह रावत,
   निवासी बड़गांव, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मैनेजर, आईसोलेक्स बाईपास निर्माण कम्पनी, नेशनल हाईवे नं0 8, आई0 ओ0सी0 गैस प्लांट के पास, अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 29.6.2012 अंतर्गत वाद संख्या 51/2011.

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—10.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 29.6. 2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडगांव, तह0 व जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 24/25 खसरा नंबर 4 रकबा 3—10—00, खसरा नंबर 5 रकबा 4—1—10, खसरा नंबर 36 मिन रकबा 1—8—10, खसरा नंबर 37 मिन रकबा 9—3—10, खसरा नंबर 80 मिन रकबा 0—4—10 गै0मु0चाह, खसरा नंबर 82 मिन रकबा 1—4—00, खसरा नंबर 83 मिन रकबा 0—2—00 चाह, खसरा नंबर 94 मिन रकबा 1—7—00 कुल किता 8 की संयुक्त खातेदारी आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी का खसरा नंबर 37 व 82 बनता है । वादीगण संयुक्त कृषि भूमि पर शांतिपूर्ण काबिज काश्त होकर चाह खसरा नंबर 80 से सिंचाई कर रहे है ं खसरा नंबर 80 गे0मु0चाह को प्रतिवादी संख्या 1 बिना विधिक अधिकार के सिक्स लाईन में मिलाने एवं कुएं के पास सिक्स लाईन के यंत्र खड्डे करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिये प्रतिवादी को रोका नहीं जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के उपरोक्त कुएं को समतल करने की धमकी दी है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी

निषेधाज्ञा जारी की जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद वर्जित होने से खारिज करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 29.6.2012 द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस का खसरा नंबर 80 मिन गै0मु0चाह पर कब्जा शांतिपूर्ण चला आ रहा है तथा इस चाह से अपने खेतों की सिंचाई करता चला आ रहा है जिसको किसी भी आदेश के तहत पूर्व में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अवाप्त नहीं किया गया है एव ंना ही अपीलांट के पिता द्वारा कोई मुआवजा ही प्राप्त किया गया है । वर्तमान जमाबंदी में भी उक्त चाह अपीलांट के नाम दर्ज है । रेस्पो0 संख्या 1 अनाधिकृत रूप से कुएं को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है जिसके लिये उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तकनीकी आधार पर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर वाद खारिज करने के बजाय प्रार्थना पत्र में उठाये गये ऐतराज के संबंध में वाद में तनकियात कायम उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर वाद को तकनीकी आधार पर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने कथन किया कि हाल खसरा नंबर 80 के साबिक खसरा नंबर 87 मिन थे जिसे विधि अनुसार अवाप्त कर मूल खातदेार को मुआवजा राशि भुगतान किया जा चुका है जिससे वादीगण/अपीलांटस के विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रह जाते है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 87 मिन जिसके हाल खसरा नंबर 80 बने है। चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में साबिक खसरा नंबर 87 मिन में रकबा 1–10–00 बीघा भूमि बाईपास में जाने का नोट अंकित है । इस प्रकार यह प्रमाणित है कि खसरा नंबर 87 मिन नेशनल हाईव अथोरिटी ऑफ इण्डिया एक्ट के तहत अवाप्त की जा चुकी है और अवाप्ति का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि भूमि अवाप्त होने के पश्चात् भूमि में काश्तकार के काश्तकारी हक राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 63 के तहत समाप्त हो जाते है एवं राज0काश्त0अधि0 की धारा 16 के तहत इस प्रकार का वाद वर्जित है एवं पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इण्डिया को इस प्रकारण में आवश्यक पक्षकार होते

हुए भी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है । धारा 211 राज0काश्त0अधि0 के तहत आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अन्यथा वाद संधारण योग्य नहीं रहता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रख वादीगण/अपीलांटस का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.6.2012 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर